न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री के.आर. चौहान, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 262/2019

वादी :— पाबुराम पुत्र श्री चौथाराम, जाति जाट, निवासी बासनी सेजा, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. शिवकरण पुत्र श्री चौथाराम
2. रमजीराम पुत्र श्री चौथाराम
3. रूपाराम पुत्र श्री पुरखाराम
4. घेवरीदेवी पुत्री श्री चौथाराम
5. मींरादेवी पुत्री श्री चौथाराम
6. अजयपाल पुत्र श्री पाबुराम
7. शिशपाल पुत्र श्री पाबुराम
8. परमाई पत्नी श्री पाबुराम
9. प्रेमसुख पुत्र श्री रूपाराम
10. सरोज पुत्री श्री रूपाराम
11. रूकमाई पत्नी श्री रूपाराम
12. बोदुराम पुत्र श्री सूजाराम
13. रामप्यारी पत्नी श्री घेवरराम

    सभी जाति जाट, निवासीगण बासनी सेजा
    तहसील मेड़ता, जिला नागौर।
14. तहसीलदार, मेड़ता।
15. पटवारी, पटवार हल्का, गंठिया।
16. पटवारी, पटवार हल्का लाम्बा जाटान।

दावा बाबत खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955

निर्णय दिनांक :– 29.11.2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी श्री गिरधारी लाल ने दावा बाबत खातेदारी घोषणा व बंटवाड़ा का पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 13 सभी हिन्दू है, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से गवर्न होते है। मौजा गंठिया की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1080 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गै.मु. ट्यूबवैल, खसरा नम्बर 1081/1991 रकबा 1.8100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1317 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गै.मु. ट्यूबवैल, खसरा नम्बर 1318 रकबा 0.8300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1114 रकबा 0.8400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1330 रकबा 0.94 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1112 रकबा 0.83 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1115 रकबा 0.90 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1081 रकबा 1.78 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 113 रकबा 0.7400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1483 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 54 रकबा 0.8100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 55 रकबा 0.0100 गै.मु. ट्यूबवैल, खसरा नम्बर 56 रकबा 0.0500 हैक्टेयर गै.मु. सड़ा, खसरा नम्बर 1328 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गै.मु. ट्यूबवैल, खसरा नम्बर 1329 रकबा 0.94 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1537 रकबा 0.82 हैक्टेयर तथा मौजा लाम्बा जाटान की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 967 रकबा 4.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 666 रकबा 2.14 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है। वादी व प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी का आज से करीब 2 वर्ष पूर्व मौके पर तो बंटवाड़ा कर लिया है और बंटवाड़ा के अनुसार ही मौके पर सींवे व माठे कायम कर ली है। बंटवाड़ा में प्रतिवादी संख्या 4, 5, 8 व 10 ने उक्त खसरान की भूमि में अपना कोई हक, बंट नही रखा है। इन्होने इस जमीन के बंट की एवज में नगदी व गहने प्राप्त कर लिये है तथा अपना सम्पूर्ण खातेदारी व हिस्सा वादी व अन्य प्रतिवादीगण के पक्ष में जुबानी तर्क कर दिया है। जिससे प्रतिवादी संख्या 4, 5, 8 व 10 का

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

उक्त खसरान की भूमि में कोई हक, बंट, काश्त, कब्जा, अधिकार नही है। मगर राजस्व रेकर्ड में अभी तक खातेदारी संयुक्त रूप से चली आ रही है। जिससे वादी अपनी बंटसुदा भूमि की खातेदारी अपने नाम अलग करवाकर राजस्व रेकर्ड में भी बंटवाड़ा करवाकर अलग से खातेदारी अपने नाम करवाने हेतु यह खातेदारी घोषणा का वाद पेश कर रहा है। वादी व प्रतिवादीगण ने अपनी पैतृक जमीन का मौके पर तो बंटवाड़ा कर लिया और बंटवाड़ा के अनुसार ही सीवें व माठे क़ायम कर ली मगर अभी तक विधिवत् बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस वादी व प्रतिवादीगण के बीच नही हुआ हैं। जिससे वादी अपनी बंटसुदा भूमि का विधिवत् बंटवाड़ा करवाकर अलग से खातेदारी दर्ज करवाना चाहता है। मौके पर बंटवाड़ा अर्जीदावा के पैरा संख्या 3 में वर्णितानुसार है। पक्षकारान के बीच विभाजन हो जाने से ऊपर बताये अनुसार पक्षकारान मौके पर काश्त व काबिज है तथा शांतिपूर्वक काश्त व काबिज चले आ रहे है। मगर वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण के शामलाती दर्ज चली आ रही है मगर बंटवाड़ा अनुसार खातेदारी में नाम दर्ज नही है। इस वजह से वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 13 को कई बार कानूनी बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर टालमटोल कर है तथा बंटवाड़े में देरी हो रही है तथा राज्य सरकार की योजनान्तर्गत वादी को समुचित लाभ प्राप्त नही हो रहा है। इस वजह से वादी कानूनी बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाने हेतु यह वाद पेश कर रहा है। वादग्रस्त खसरान की भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है तथा संयुक्त हिन्दू परिवार की जायदाद है। जों अविभाजित है। वादी का उक्त खसरान की भूमि में जन्म से ही हक, अधिकार एवं बंट प्राप्त है। वादी मौके पर शांतिपूर्वक काश्त व काबिज है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 8 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

2. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा गंठिया की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2076, खाता संख्या 728, 612, 615, 185, 364, 823 एवं मौजा लाम्बा जाटान की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2076, खाता संख्या 1083, 1087 की प्रतियां पेश की।

3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 13 की ओर से वकील श्री नरेश कुमार राजपुरोहित ने वकालतनामा पेश किया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 13 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सरोज, मींरादेवी, परमाई एवं घेवरीदेवी के शपथपत्र पेश किये। प्रतिवादी संख्या 14 से 16 बाजवूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने से दिनांक 06.11.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी है।

4. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

—: आदेश :—

6 (i). **वादी पाबुराम के बंट में :—** मौजा गंठिया की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1318 रकबा 0.83 हैक्टेयर में से रकबा 0.12 हैक्टेयर दक्षिणी–पूर्वी भाग, खसरा नम्बर 1330 रकबा 0.94 हैक्टेयर में से रकबा 0.32 हैक्टेयर पश्चिमी भाग तथा मौजा लाम्बा जाटान की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 967 रकबा 4.40 हैक्टेयर में से 0.31 हैक्टेयर रूपाराम व रमजीराम के मध्य पूर्वी भाग की भूमि,

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 666 रकबा 2.14 हैक्टेयर में से रकबा 0.535 हैक्टेयर प्रेमसुख के चिपते ही पश्चिमी भाग की भूमि वादी के बंट व खातेदारी में रहेगी।

(ii). **प्रतिवादी संख्या 1 शिवकरण के बंट में** :– मौजा गंठिया की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1318 रकबा 0.83 हैक्टेयर में से रकबा 0.13 हैक्टेयर रमजीराम के चिपते ही दक्षिणी–पूर्वी भाग, खसरा नम्बर 1328 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गै.मु. ट्यूबवैल सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 1329 रकबा 0.9400 में से रकबा 0.47 हैक्टेयर दक्षिणी भाग, खसरा नम्बर 1112 रकबा 0.8300 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 113 रकबा 0.7400 हैक्टेयर में से रकबा 0.37 हैक्टेयर उत्तरी हिस्सा तथा **मौजा लाम्बा जाटान की सरहद** में स्थित खेत खसरा नम्बर 967 रकबा 4.40 हैक्टेयर में से 0.82 हैक्टेयर रूपाराम के चिपते ही पूर्व में, खसरा नम्बर 967 रकबा 4.40 हैक्टेयर में से रकबा 0.31 हैक्टेयर उत्तरी–पूर्वी भाग, खसरा नम्बर 666 रकबा 2.14 हैक्टेयर में से रकबा 0.535 हैक्टेयर पश्चिमी भाग की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के बंट व खातेदारी में रहेगी। ।

(iii). **प्रतिवादी संख्या 2 रमजीराम के बंट में** :– मौजा गंठिया की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1317 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गै.मु. ट्यूबवैल सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 1318 रकबा 0.83 हैक्टेयर में से रकबा 0.11 हैक्टेयर गोपाराम के चिपते ही दक्षिणी–पूर्वी भाग, खसरा नम्बर 1329 रकबा 0.94 में से रकबा 0.47 हैक्टेयर उत्तरी भाग, खसरा नम्बर 1115 रकबा 0.90 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 113 रकबा 0.7400 हैक्टेयर में से रकबा 0.37 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा तथा **मौजा लाम्बा जाटान की सरहद** में स्थित खेत खसरा नम्बर 666 रकबा 2.1400 हैक्टेयर में से रकबा 0.535 हैक्टेयर शिवकरण व पाबुराम के मध्य हिस्सा, खसरा नम्बर 967

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

0.535 हैक्टेयर पूर्वी भाग की भूमि प्रतिवादी संख्या 9 के बंट व खातेदारी में रहेगी।

(viii). **प्रतिवादी संख्या 11 रूकमाई के बंट में :–** मौजा गंठिया की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1483 रकबा 0.7600 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 11 के बंट व खातेदारी में रहेगी।

(ix). **प्रतिवादी संख्या 12 बोदूराम के बंट में :–** मौजा गंठिया की सरहद में स्थित खेत खसरा नंम्बर 1318 रकबा 0.83 हैक्टेयर में से रकबा 0.14 हैक्टेयर रामप्यारी के चिपते ही पूर्वी भाग की भूमि प्रतिवादी संख्या 12 के बंट व खातेदारी में रहेगी।

(x). **प्रतिवादी संख्या 13 रामप्यारी के बंट में :–** मौजा गंठिया की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1318 रकबा 0.83 हैक्टेयर में से रकबा 0.14 हैक्टेयर पश्चिमी भाग की भूमि प्रतिवादी संख्या 13 के बंट व खातेदारी में रहेगी।

(xi). **प्रतिवादी संख्या 6 व 7 क्रमशः अजयपाल तथा शिशपाल के संयुक्त के बंट में :–** मौजा गंठिया की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1114 रकबा 0.8400 हैक्टेयर सम्पूर्ण बंट व खातेदारी में रहेगी।

(xii). **वादी पाबूराम व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 क्रमशः शिवकरण, रमजीराम एवं रूपाराम के संयुक्त के बंट में :–** मौजा गंठिया की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1081 रकबा 1.78 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

(xiii). **वादी पाबूराम व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 क्रमशः शिवकरण, रमजीराम एवं रूपाराम के संयुक्त के बंट में :–** मौजा गंठिया की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1080 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गै.मु. ट्यूबवैल में से 1/2 भाग व खसरा नम्बर 1081/1991 रकबा 1.61 हैक्टेयर में से 1/2 भाग सम्पूर्ण बंट व खातेदारी में रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

रकबा 4.40 हैक्टेयर में से 0.93 हैक्टेयर पाबूराम के चिपते ही पश्चिमी–दक्षिणी भागं, खसरा नम्बर 967 रकबा 4.40 हैक्टेयर में से रकबा 0.31 हैक्टेयर दक्षिणी–पूर्वी भाग की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के बंट व खातेदारी में रहेगी।

(iv). **प्रतिवादी संख्या 3 रूपाराम के बंट में** :– मौजा गंठिया की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1318 रकबा 0.83 हैक्टेयर में से रकबा 0.12 हैक्टेयर शिवकरण व पाबूराम के मध्य पूर्वी भाग एवं खसरा नम्बर 1318 रकबा 0.83 हैक्टेयर में से रकबा 0.07 हैक्टेयर उत्तरी भाग, खसरा नम्बर 1330 रकबा 0.94 में से रकबा 0.62 हैक्टेयर पूर्वी भाग, खसरा नम्बर 54 रकबा 0.81 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 55 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गै.मु. ट्यूबवैल सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 56 रकबा 0.0500 हैक्टेयर सम्पूर्ण तथा **मौजा लाम्बा जाटान की सरहद** में स्थित खेत खसरा नम्बर 967 रकबा 4.40 हैक्टेयर में से 0.73 हैक्टेयर उत्तरी–पश्चिमी भाग, खसरा नम्बर 967 रकबा 4.40 हैक्टेयर में से रकबा 0.31 हैक्टेयर शिवकरण के चिपते ही दक्षिणी–पूर्वी भाग की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के बंट व खातेदारी में रहेगी। ।

(v). **प्रतिवादी संख्या 6 अजयपाल के बंट में** :– मौजा लाम्बा जाटान की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 967 रकबा 4.40 हैक्टेयर में से 0.68 हैक्टेयर दक्षिणी–पश्चिमी भूमि प्रतिवादी संख्या 6 के बंट व खातेदारी में रहेगी।

(vi). **प्रतिवादी संख्या 7 शिशपाल के बंट में** :– मौजा गंठिया की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1537 रकबा 0.82 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 7 के बंट व खातेदारी में रहेगी।

(vii). **प्रतिवादी संख्या 9 प्रेमसुख के बंट में** :– मौजा लाम्बा जाटान की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 666 रकबा 2.14 हैक्टेयर में से

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

7. प्रतिवादी संख्या 4, 5, 8 व 10 ने अपने हक की भूमि का हक तर्क वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 6, 7, 9 एवं 11 से 13 के पक्ष में कर दिया है। जिससे हक तर्क व बंटवाड़े की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही हो तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

के.आर. चौहान
उपखण्ड अधिकारी,
मेड़ता

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kashi Ram Chauhan
Date: 2019.12.05 13:01:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: